क्रम संख्या–199 पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 17 नवम्बर, 2015 ई0

कार्तिक 26, 1937 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 339/XXXVI(3)/2015/40(1)/2015

देहरादून, 17 नवम्बर, 2015

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियॉ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक 2015'** पर दिनांक 09 नवम्बर, 2015 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 26 वर्ष, 2015 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियॉ और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2015

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 26 वर्ष 2015)

उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियॉ और पेंशन) अधिनियम, 2008 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम 1 इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियॉ और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

धारा –23–क का संशोधन 2 उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियॉ और पेंशन) अधिनियम, 2008 की धारा 23 क के स्पष्टीकरण– 2 के पश्चात निम्नवत एक परन्तुक जोड़ दिया जायेगा, अर्थात

"परन्तु यह कि उत्तराखण्ड अथवा उत्तर प्रदेश राज्य की विधान सभा/परिषद में उत्तराखण्ड क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे भूतपूर्व सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा सचिवालय से न्यूनतम रू0 दस हजार – पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के हकदार होंगे।"

आज्ञा से,

जय देव सिंह,
प्रमुख सचिव।